



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 13 अगस्त, 2002 ई0

श्रावण 22, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 195/कार्मिक-2/2002

देहरादून, 13 अगस्त, 2002

अधिसूचना

प0आ0 202

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002

भाग-एक

प्रारम्भिक

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिसकी गर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियमावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है।
लागू होना
- यह नियमावली इससे पूर्व बनायी गयी किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।
अध्यासेही प्रभाव
- जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में-
परिभाषा
(क) किसी सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावतियों के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

- (ख) "संवर्ग" का तात्पर्य किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के किसी समूह से है;
- (ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;
- (घ) "समिति" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु गठित समिति से है;
- (ङ) "पोषक संवर्ग" का तात्पर्य सेवा के उस संवर्ग से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर पदोन्नति की जाय;
- (च) "सेवा" का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की जानी है;
- (छ) "सेवा नियमावली" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गयी नियमावली से है और जहाँ ऐसी नियमावली न हो वहाँ सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यमालक अनुदेशों से है;
- (ज) "भौतिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
- (झ) "वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—दो.

ज्येष्ठता का अवधारण

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों की जाय

5. जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों वहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखाई गयी है;

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विभिन्न कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधि मान्यता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा;

अर्थात् प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्पूर्वी चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से, कनिष्ठ रहेंगे;

स्पष्टीकरण—जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक चयन किये जायें तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जायेगा।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों की जाय

6. जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण—पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गयी हो, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों की जाय

7. जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ एक से अधिक पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने पोषक संवर्ग में उनकी भौतिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण—जहाँ पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे:

अन्तर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्कर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

8. (1) जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित रूप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं:

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जायें

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

अन्तर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

- (2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप—

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

- (3) जहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायें वहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के संबंध में ज्येष्ठता, जहाँ तक हो सके दोनों खोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त—(1) जहाँ पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो वहाँ ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :-

प्रथम	—	पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय	—	सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहाँ उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो वहाँ ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :-

प्रथम	—	पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय से चतुर्थ तक	—	सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति
पाँचवाँ	—	पदोन्नत व्यक्ति
छठा से आठवाँ	—	सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि -

- (एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता के लिए सन-अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों;
- (दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जायं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे;
- (तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जायं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

भाग-तीन

ज्येष्ठता सूची

ज्येष्ठता सूची का
तैयार किया जाना

9. (1) सेवा में नियुक्तियां होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा।
- (2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियां आमंत्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम सात दिन की होगी, परिचालित किया जायेगा।
- (3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरुद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात् अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।
- (5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल मोक्ष संवर्ग से पदान्ति द्वारा की जायं, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 195/Karmic-2/2002, dated August 13, 2002 for general information:

No. 195/Karmic-2/2002
Dated Dehradun, August 13, 2002

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules for determination of seniority of persons appointed to the services under the State Government:-